डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72] रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 अप्रैल 2002—चैत्र 11, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 30 मार्च, 2002 (चैत्र 9, 1924)

अधिसूचना

क्रमांक 4439/विधान/2002.—राज्यपाल का निम्नलिखित आदेश दिनांक 27 मार्च, 2002 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है—

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, दिनेश नंदन सहाय, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के पंचम सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से करता हूं.

रायपुर,
दिनांक 27 मार्च 2002

दिनेश नंदन सहाय
राज्यपाल,
छत्तीसगढ़"

हस्ता./-
(भगवानदेव ईसरानी)
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.